

30/9/22

वकील उद्यमधर उपाध्याय वकील वाडी एवं  
वाडीगण ने प्रार्थना पत्र वास्तु दावा वापिस  
लेने पेश किया। जो शामिल फरमावी  
दिया गया। वाडीगण को प्रार्थना पत्र पर  
सुना गया उन्होंने बताया कि पक्षधरो के  
मध्य राजीनामा हो गया है। और दावा  
विद्वो करना चाहते हैं।

फरमावी को अवलोकन किया।  
आदेश 23 नियम। सीपीसी के प्रावधानों  
के अन्तर्गत वाडीगण अपना दावा खिती  
की तरफ वापिस ले सकता है। और  
वाडीगण को दावा विद्वो की अनुमति  
दी जाती है। एवं दावा वाडीगण विद्वो के  
आख्या पर खारिज किया जाता है। फरमावी  
फैसलपुरी का क्षेत्र दारिद्र्य दफ्तर है।  
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
धौलपुर (राज.)

वीरन्दु सिंह  
सावित्री देवी  
मंजु रावत  
मिन्दु रावत  
नवनील  
नमिता रावत  
नितारा रावत

Identified by  
Dewi  
30/9/22

No objection  
Mansoor  
30/9/22